फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री रोडसिंह राव** विपक्षी :–**राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136–131 एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या :–**76/23 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :–**2023/209**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 29.01.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। राजपैरोकार तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धर्मेता पटवार हल्का बोयणा की खसरा संख्या 1564/1541 रकबा 0.8903 हेक्टेयर किस्म बंजड होकर खातेदार श्री रोडसिंह पुत्र कालूसिंह राव सा देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खातेदार को आवंटन से प्राप्त भूमि है जिसका नामांतरण संख्या 190 पर दर्ज किया जाकर खातेदार के नाम पर गैरखातेदारी हक से दर्ज हुई। नामांतरण पर नक्शा ट्रेस चस्पा नहीं है। संवत् 2062–2065 तक की जमाबंदी में ग्राम बोयणा में उक्त भूमि के खसरा संख्या 1564/1541/1433 दर्ज रिकार्ड थे परन्तु कम्प्यूटर तकनीक में तीन बटटा नम्बर तक खसरा नंबर सोफ्टवेयर द्वारा नहीं लिए जाने से उक्त आराजी नम्बर केनवीन बटा नंबर 1564/1541 दर्ज किये गये। वक्त सेटलमेंट खसरा नंबर 1433 के दक्षिण पश्चिम की दिशा से उत्तर पूर्व की दिशा तक डोटेड लाइन (कदमी रास्ता) दर्शा रखा है। भू नक्शा में खसरा संख्या 1564/1541 के पश्चिम दिशा की तरफ खसरा संख्या 1433 रकबा 0.2752 हेक्टेयर किस्म बिलानाम रास्ता व पूर्व दिशा की तरफ ग्राम पावट की सीमा स्थित है परन्तु मौके पर खसरा संख्या 1564/1541 की पश्चिमकी खसरा संख्या 1428, 1431 खातेदारी कृषि भूमि व पूर्व की तरफ रास्ता स्थित है। जो कि राजस्व नक्शा अनुसार नहीं है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम धर्मेता पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 132 पर दर्ज आराजी नम्बर 1564/1541 रकबा 0.8903 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के सेग्रीगेशन से पूर्व आराजी नम्बर 1564/1541/1433 थे। वक्त सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाईन में आराजी नम्बर 1564/1541 दर्ज किए गए। उक्त आराजी का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज नही कर कम दर्ज कर दिया गया। साथ ही उक्त आराजी प्रार्थी को आवंटित हुई थी। आवंटन के नामान्तकरण पर उक्त आराजी की आकृति बना रखी है। उक्त आकृति अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जानी थी परन्तु राजस्व कर्मचारी द्वारा आवंटन पर अंकित आकृति अनुसार तरमीम नहीं कर अपने मनमाफिक तरमीम कर दी गई।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही रकबा भी कम दर्ज कर दिया गया।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के दौरान जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे को ऑनलाईन किया जाना था। जिसमे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही किया जाना था अर्थात साबिक जमाबंदी एवं साबिक नक्शे अनुसार ही ऑनलाईन किया जाना था। साथ ही जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही साबिक नक्शे के आधार पर सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व नक्शा तैयार किया जाना था। परन्तु इस प्रकरण में तरमीम गलत कर देने से आराजी का रकबा कम ज्यादा अंकित हो गया जो कि न्यायोचित नही है। साथ ही उक्त आराजी की हाल नक्शे में आकृति में भी परिवर्तन कर दिया गया। वैसे भी राजस्व कर्मचारियो को अपने मनमुताबिक तरमीम करने का अधिकार नही है। इस कारण से साबिक नक्शा के अनुसार हाल राजस्व नक्शे में तरमीम नही करने से उक्त त्रुटि चली आ रही है। जिसे तहसीलदार मावली द्वारा भी स्वीकार किया गया। तहसीलदार मावली के द्वारा मौके अनुसार तरमीम कर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया है। न्यायालय का मानना है कि मौके अनुसार प्रकरण में वर्णित भूमि की तरमीम कर दी जाती है तो पक्षकारो के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही रहेगा। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136—133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धर्मेता पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर की आराजी नम्बर 1564/1541, 1433 की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात की राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए यह सुनिश्चित करे की उक्त आराजीयात का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में हो। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested